

For Suspension of Practice

झारखण्ड राज्य विधिज्ञ परिषद् के राज्य रॉल पर नामांकित (Enrolled) अधिवक्ता यदि अपना प्रैक्टिस निलंबित कराना चाहें तब :-

1. अधिवक्ता होने का मूल नामांकन पत्र (Enrolment Certificate) के साथ Practice के निलंबन का आवेदन जमा करें।
2. आवेदन स्वीकार होने के बाद राज्य रॉल पर अधिवक्ता के नाम के आगे स्वेच्छा निलंबित लिख दिया जाएगा तथा BCI Rule 40 के लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा।

For Resumption of Practice

झारखण्ड राज्य विधिज्ञ परिषद् के राज्य रॉल पर नामांकित (Enrolled) अधिवक्ता का प्रैक्टिस यदि किसी कारणवश निलंबित हो और उसे पुनः resume करना चाहें तब :-

1. इसके लिए आवेदन जमा करें। आवेदन में किस स्थान पर वह अधिवक्ता का Practice करना चाहते हैं यह साफ-साफ लिखें। इसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें।
 - (क) एक शपथ पत्र पर यह घोषणा कि निलंबन अवधि के दौरान उन पर ऐसा कोई आरोप नहीं है जिससे उन्हें अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत अयोग्य माना जाये।
 - (ख) एक बैंक ड्राफ्ट रु. 10000/- का जो "Jharkhand State Bar Council" के नाम से बना हो तथा payable at "Ranchi" हो।
 - (ग) एक बैंक ड्राफ्ट रु. 2000/- का जो "Bar Council of India" के नाम से बना हो तथा payable at "New Delhi" हो।
2. आवेदन को नामांकन समिति (Enrolment Committee) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, उचित निर्णय के बाद उनके मूल नामांकन पत्र पर Practice Resume लिख कर, तारीख देकर तथा समुचित हस्ताक्षर के साथ वापस सौंप दिया जाएगा। साथ ही BCI Rule 40 कि सूची में उनका नाम पुनः शामिल कर लिया जाएगा।
